21/16

A2
6

यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छींम्पा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 21/2016
अन्तर्गत धारा 88,188,63,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

दलीपसिंह आत्मज श्री रामसिंह, रावल, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. गंगाराम आत्मज श्री सुखाराम, नायक, रेणूका तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (वादी)
श्री तेजासिंह (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–2)

दिनांक 16 जुलाई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 8 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 54 किला नम्बर 1 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 56 किला नम्बर 2 से 7, 14 से 17, 21 से 25 कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि भारत सरकार द्वारा प्रतिवादी के पिता श्री सुखराम आत्मज श्री भगवानाराम को आवंटित किया गया जिसकी समस्त किश्तें जमा करवा दी गयी कृषि भूमि की बाबत कोई किश्त शेष नही है. श्री सुखराम तथा उसके भाई श्री हेमाराम द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1974 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर कृषि भूमि का कब्जा वादी एवं उसके भाई श्री बचनसिंह एवं अर्जुनसिंह को सोंप दिया गया. तब से कृषि भूमि का कब्जा वादी एवं उसके भाईयों के पास चला आ रहा है. श्री बचनसिंह एवं श्री अरजनसिह की मृत्यु हो चुकी है इसलिये प्रश्नगत समस्त कृषि भूमि का कब्जा वादी के पास चला आ रहा है. वादी को कानून की जानकारी नहीं थी इसलिये वाद ने बिना सनद के कृषि भूमि क्रय कर ली जिस पर डी.पी.एण्ड सी.आर.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि भूमि क्रय नहीं की जा सकती थी. इसलिये वादी के विरूद्व धारा 12(2) डी.पी.एण्ड सी.आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी जिस पर राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 जारी किया जिसके अनुसार जिन प्रकरणों में खातेदारी सनद जारी नहीं हुई तथा विक्रय हो गया है, वह सक्षम न्यायलय के समक्ष अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत कर देवे तो उन्हें आगामी आदेश तक बेदखल न किया जावे. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की पालना में वादी द्वारा अण्डरटेकिं प्रस्तुत

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कर दी गयी. वादी के पास प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा 1974 से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जो अधिकार आवंटी को प्राप्त थे वे तमाम अधिकार उसके समाप्त हो गये और वह अधिकार वादी को प्राप्त हो गये हैं क्योंकि प्रतिवादी के पिता ने दिनांक 25 सितम्बर, 1974 को भूमि का परित्याग कर अपनी इच्छा से भूमि वादी को दे दी तथा वादी द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1974 से प्रश्नगत कृषि भूमि का लगान अदा कर रहा है. धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कतिपय खुद काश्त के आसामियों तथा शिकम आसामियों को अधिकार प्रदान किये जाने हैं क्योंकि वादी द्वारा इस भूमि का लगान आदि अदा किया जा रहा है इसलिये वादी खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है. वादी का कब्जा दिनांक 25 सितम्बर, 1974 से लगातार शान्तिपूवर्क चला आ रहा है इसलिये धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा धारा 88(2) राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खुद काश्त का आसामी इस घोषणा के लिये वाद प्रस्तुत कर सकेगा कि वह खुद काश्त का आसामी है. भारत सरकार द्वारा जो कृषि भूमि आवटिंत किया गया है उसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र कमांक एफ.1(15)राजस्व पुर्नवस/2009 दिनांक 6 अक्तूबर, 2009 जारी किय गया जिसमें राजस्व भू–राजस्व निष्क्रान्त भूमियों का स्थायी आवंटन नियम, 1963 में संशोधन कर अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2004 जारी की गयी जिसमें नियम, 1963 की नियम 5 ए जोड़ा गया जिसके अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमें विस्थापित व्यक्ति(क्षतिदूत एवं पुर्नवास) अधिनियम, 1954 की धारा 19(2) सपठित नियम 102 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त नही किया गया तो वह शमन राशि जमा करवाकर कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है. जिसके कम में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2012 जारी की गयी जिसे अन्तर्गत प्रश्नगत कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है. वादी का कब्जा शान्तिपूवर्क चला आ रहा है. प्रतिवादी वादी को बेदखल करना चाहते हैं यदि उनके द्वारा ऐसा कर दिया गया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी. प्रतिवादी संख्या 2 प्रश्नगत कृषि भूमि को निाम करने मे प्रयासरत है जबकि वादी इस कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है. इसलिये इस कृषि भूमि की निलामी नहीं की जा सकती किन्तु प्रतिवादी कानून को अपने हाथ में लेकर तथा वादी को हानि पहुंचाने की गर्ज से ऐसा किया जा रहा है इसलिये वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है. वादी का पुराना कब्जा होने तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 03 जनवरी, 2012 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 8 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 54 किला नम्बर 1 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 56 किला नम्बर 2 से 7, 14 से 17, 21 से 25 कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने, वादी को भूमि से बेदखल नहीं किये जाने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
8

03 जनवरी, 2012 की पालना में शमन फीस जमा करवा कर सुखराम का नाम विलोपित कर वादी का नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 8 सी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी 1 अधिवक्ता के माध्यम से तथा प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर जवाब आवेदनपत्र दिनांक 25 अप्रेल, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसकें अनुसार चक 8 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 54 में 10.00 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 56 के 15.00 बीघा कुल 25.00 बीघा प्रश्नगत कृषि भूमि भारत सरकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को आवंटित की गयी थी जिनके द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं किया गया. प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अनपढ थे तथा वादी द्वारा खाली स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगवा कर फर्जी इकरारनामा तस्दीक करवाया गया था जिससे वादी को कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होते हैं. प्रश्नगत कृषि भूमि वर्तमान में डी.पी.सी.एण्ड आर अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत रिसीवर है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा वर्तमान में रिसीवर के पास चला आ रहा है. प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को आवंटित की गयी थी. वादी द्वारा फर्जी इकरारनामा बना लिया गया.जिसकी बाबत धारा 19 डी.पी.एक्ट की कार्यवाही की गयी तथा जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को 1976 में रिसीवर घोषित किया गया जिसके बाद वादी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में चाराजोही की किन्तु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा वादी की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादी को इकरारनामा के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते. वादी को डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने के अधिकार उपलब्ध नहीं हैं. वर्ष 1976 से आज तक प्रश्नगत कृषि भूमि पर रिसीवर नियुक्त है. प्रत्येक वर्ष प्रश्नगत कृषि भूमि की निलामी की जाती है तथा निलामी राशि राजकोष में जमा होता है. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 19 डी.पी.एक्ट पर लागू नहीं होते हैं. भूमि हरीजन से सम्बद्व है जिससे धारा 42 बी राज. काश्तकारी अधिनियम प्रभावित होती है. इसलिये भी वादी को कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होते हैं. क्योंकि प्रश्नगत भूमि हरीनज से सम्बन्ध एवं आवंटित है जिसके द्वारा किसी भी स्वर्ण जाति से सम्बद्व व्यक्ति के साथ इकरारनामा नहीं किया जा सकता. न ही हरीजन की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी दी जा सकती है. परिपत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 2009 में भी यह प्रावधान हैं कि धारा 42 बी राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में स्वर्ण जाति को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वादी रायसिख है जो हरीजन की श्रेणी में नहीं आता है इसलिये वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अब निलामी नही की जा रही बल्कि सन् 1976 से ही जिला पुर्नवास अधिकारी के आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक वर्ष निलामी की जाती है. काउण्टरक्लेम में अंकित किया गया कि प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/16

A2
9

संख्या 1 के पिता द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को बेचान नही किया गया. वादी द्वारा खाली स्टाम्प पर अंगूठा लगवाकर फर्जी इकरारनामा बनाया गया है जिसके आधार पर वादी द्वारा मा. सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 16 अप्रेल, 2002 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व मा. जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत अपील भी दिनांक 5 जुलाई, 2005 को खारिज की जा चुकी है. जब इकरारनामा को सिविल न्यायालय द्वारा ही ग्राह्य नहीं किया गया तब वादी को इसी आधार पर कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होते हैं. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि पर रिसीवर आदेश निरस्त कर कब्जा प्रतिवादी को दिलवाये जाने का निवेदन किया गया. वादी एवं उसके भाईयों द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रस्तुत विविध प्रार्थनापत्र दिनांक 20 अक्तूबर, 2015 को निरस्त किया गया है तथा मूल वाद संख्या 148/1997 दिनांक 05 फरवरी, 2009 को खारिज हो चुकी है. इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि का कब्जा दिलाया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त करते हुऐ काउण्टरक्लेम डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा उक्त शीर्षक के प्रस्तुत विविध प्रा.पत्र संख्या 21/2016 में पारित आदेश दिनांक 10 मई, 2016, मा. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 88/2016 शीर्षक दलीपसिंह बनाम गंगाराम में पारित आदेश दिनांक 18 मई, 2016 एवं अपील संख्या 88/2016 एवं श्रीमान उपखण्ड अधिकारी(पुनर्वास), श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी पत्रांक 1167 दिनांक 6 अगस्त, 2013, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्या 258/1978 शीर्षक अर्जुनसिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं एस.बी.सिविल रिट संख्या 280/1990 शीर्षक बचनसिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 28 जनवरी, 1997, मा. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(व.ख.), श्रीगंगानगर द्वारा नम्बरी दीवानी संख्या 7/99 शीर्षक बचनसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16 जुलाई, 2002, मा. अपर जिला न्यायाधीश–2, श्रीगंगानगर द्वारा अपील दीवानी संख्या 14/2002 शीर्षक बचनसिंह व अन्य बनाम मृतक हेमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05 जुलाई, 2005 एवं मा. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(क.ख.), श्रीगंगानगर द्वारा विविध दीवानी संख्या 108/1997 शीर्षक दलीपसिंह व अन्य बनाम गंगाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20 अक्तूबर, 2005 की चित्रित प्रतियां सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 27 अप्रेल, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार पत्रावली में कब्जा सम्बन्धी कोई साक्ष्य नहीं है और न ही कोई विक्रयपत्र/इकरारनामा है. तथा अण्डरटेंकिंग की प्रति भी सलंग्न नही है. वादी खुद काश्त की आसामी/शिकमी आसामी नहीं है बल्कि अतिक्रमी है किसी भी भूमि पर बिना किसी विधिक अधिकार के कब्जा किया गया है तो अतिक्रमी की श्रेणी में आता है जिसे भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक है.

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(...टेक) श्रीगंगानगर

21/16

A2
TO

प्रतिवादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी को बेदखल कर सकता है. वादी द्वारा प्रतिवादी के पिता के नाम से दर्ज भूमि पर कब्जा करता है तो अतिक्रमी माना जाता है एवं अतिक्रमी बेदखल किया जाना आवश्यक है इस प्रकार वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यको का निर्धारण किया गया –

1. क्या 8 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 54 के 10.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 67 के 15.00 बीघा कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी के पिता श्री सुखराम एवं उसके भाई श्री हेमाराम द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1974 को राशि प्राप्त कर भौतिक कब्जा वादी एवं उसके भाई श्री बचनसिंह, श्री अर्जनसिंह को सौपा गया? जिस पर वादी एवं उसके भाई काबिज हैं? **...वादी**
2. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत वादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 की पालना में सक्षम न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गयी है? **...वादी**
3. क्या वादी प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार घोषित करवाये जाने का अधिकारी है? **...वादी**
4. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत वादी को बेदखल नहीं करने बाबत वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? **...वादी**
5. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि सन् 1974 से हीं डी.पी. एण्ड सी.आर. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिसीवर अधीन है? **...प्रतिवादी**
6. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य निष्पादित कथित इकरारनामा के आधार पर मा. सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16 अप्रेल, 2002 एवं मा. जिला न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 5 जुलाई, 2005 के परिदृश्य प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत कृषिभूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? **....प्रतिवादी**
7. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही किये जाने के कारा आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 2016 द्वारा अन्तिम अवसर तथा आदेश दिनांक 17 अक्तूबर, 2016 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालिक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिया गया. तत्पश्चात, साक्ष्य वादी हेतु श्री सोहनसिंह, श्री कालासिंह, श्री गुरजण्टसिंह, श्री रणजीतसिंह एवं श्री दलीपसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें से श्री सोहनसिंह, श्री कालासिंह, श्री गुरजण्टसिंह से जिरह की गयी तथा साक्षी वादी श्री रणजीतसिंह के उपस्थित नहीं आने के कारण समय चाहा गया जिस पर भी दिनांक 17 जनवरी, 2017 को साक्षी श्री रणजीतसिंह के उपस्थित नहीं आने के परिणामतः श्री रणजीतसिंह से जिरह बन्द की गयी तथा साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री गंगाराम द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिससे जिरह की गयी. इस प्रकार साक्ष्य प्रतिवादी भी पूर्ण की गयी.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत क्रमशः

1995 RRC 539 SarwanSingh & Anr vs Shankar Singh & ors.
1996 RRD 288 SarwanSingh & Anr vs Shankar Singh & ors.
2007 RRD 915 Sawai Maharaj (Shri) vs Phoolchand & Anr
2007(2)RRT 1245 Sawai Maharaj (Shri) vs Phoolchand & Anr
1999 RRD 186 Pemji & ors vs Nathu & Anr
2009 RRD 698 Gopal & ors vs L.R.'s of Sheolal & ors.
2009 RRD 252 Dhansingh vs. Gilasi & ors.
1989 RRD 300 Hussain vs. State of Rajasthan

एवं मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगगानगर द्वारा अपील संख्या 8/207 शीर्षक जगदीश व अन्य बनाम श्रीमती मैनादेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20 नवम्बर, 2017 का ससम्मान अवलोकन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या 8 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 54 के 10.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 67 के 15.00 बीघा कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी के पिता श्री सुखराम एवं उसके भाई श्री हेमाराम द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1974 को राशि प्राप्त कर भौतिक कब्जा वादी एवं उसके भाई श्री बचनसिंह, श्री अर्जनसिंह को सौपा गया? जिस पर वादी एवं उसके भाई काबिज हैं? **...वादी**

वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित तथ्यों के अनुसार चक 8 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 54 किला नम्बर 1 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 56 किला नम्बर 2 से 7, 14 से 17, 21 से 25 कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि भारत सरकार द्वारा प्रतिवादी के पिता श्री सुखराम आत्मज श्री भगवानाराम को आवंटित किया गया जिसकी समस्त किश्तें जमा करवा दी गयी कृषि भूमि की बाबत कोई किश्त शेष नही है. श्री सुखराम तथा उसके भाई श्री हेमाराम द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1974 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर कृषि भूमि का कब्जा वादी एवं उसके भाई श्री बचनसिंह एवं अर्जुनसिंह को सोंप

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21|16

A2/12

दिया गया. तब से कृषि भूमि का कब्जा वादी एवं उसके भाईयों के पास चला आ रहा है. साक्षी वादी श्री सोहनलाल द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि मैं सुखराम को जानता हूं जिसने जमीन सन् 1974 मे बेची थी. साक्षी वादी श्री गुरजण्टसिंह द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि यह जमीन सुखराम को अलाट थी यह दलीपसिंह, अर्जनसिंह, बचनसिंह ने जरिये इकरारनामा खरीद की हुई है. इसी अनुरूप साक्षी श्री दलीपसिंह द्वारा अपनी जिरह में कथन किये गये है कि विवादग्रस्त भूमि चक 8 सी बड़ी सुखराम को अलाट है सुखराम से हमने इकरारनामा किया था. इसके विपरीत, साक्षी वादी श्री कालासिंह द्वारा अपनी जिरह में कथन किये गये हैं कि मुझे पता नहीं कि जमीन इकरारनामा पर खरीदी है. किन्तु वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं साक्षीगण वादी द्वारा जिरह में प्रस्तुत कथनों के समर्थन में किसी भी प्रकार का ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप श्री सुखराम द्वारा निष्पादित मूल अथवा इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत नही की गयी जिससे वादी के कथन की पुष्टि होती हो. दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अनपढ थे तथा वादी द्वारा खाली स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगवा कर फर्जी इकरारनामा तस्दीक करवाया गया था. यहां यह तथ्य अंकित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यदि श्री सुखराम द्वारा किसी भी प्रकार का इकरारनामा निष्पादित किया भी गया था तो वह वादी की अभिरक्षा में ही हो सकता है. जिनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत ही नहीं किया गया. इसके अतिरिक्त, साक्षी वादी श्री सोहनसिंह द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि कब्जा दलीपसिंह के पास है, साक्षी वादी श्री गुरजण्टसिंह द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि जमीन का कब्जा इनके पास है. वादी द्वारा किसी भी ऐसे तथाकथित इकरारनामा अथवा किसी भी आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि पर कब्जा के सम्बन्ध मे भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है. वादपत्र में अंकित किसी भी बिन्दु में तथाकथित इकरारनामा की तिथि तक अंकित नही की गयी है, केवल मात्र दिनांक 25 सितम्बर, 1974 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर कृषि भूमि का कब्जा वादी एवं उसके भाई श्री बचनसिंह एवं अर्जुनसिंह को सोंप दिया गया. के तथ्य ही अंकित किये गये हैं. उक्त तथ्यपूरक परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा जानबूझ कर उल्लेखित इकरारनामा प्रस्तुत नही किया गया क्योंकि वादी पक्षकार द्वारा सामान्य विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद दिनांक 16 अप्रेल, 2002 को निरस्त किया जा चुका है. ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में, विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत वादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 की पालना में सक्षम न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गयी है? **...वादी**

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 की अन्तिम लाईन में अंकित किया गया है कि राज्य सरकार की पालना में वादी द्वारा अण्डरटेकिंग पेश कर दी थी. किन्तु इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया. यहां यह तथ्य अंकित किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि यदि वादी द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी थी तो उसका परिणाम क्या हुआ? वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में इस तथ्य को भी छिपाया गया है. अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में विवाद्यक संख्या 2 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या वादी प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार घोषित करवाये जाने का अधिकारी है? ...**वादी**

वादी द्वारा जिस दस्तावेज को वादपत्र का मूलभूत आधार मानते हुऐ वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, की पुष्टि मे ऐसे आधारभूत अभिलेख ही प्रस्तुत नही किये गये व न ही कब्जा बाबत किसी भी प्रकार का अभिलेख ही प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में, किसी भी पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर वादी को प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है. इसके अतिरिक्त, वादी द्वारा ही प्रस्तुत वादपत्र के शीर्षक में प्रतिवादी संख्या 1 की जाति नायक अंकित की गयी है जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है. तथा वादी द्वारा अपनी जाति रावल अंकित की गयी है जबकि मा. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(क.ख.) संख्या 2, श्रीगंगानगर द्वारा विविध दीवानी संया 108/1997 शीर्षक दलीपसिंह व अन्य बनाम गंगाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20 अक्तूबर, 2005 में वादी की जाति रायसिख एवं मा. अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, श्रीगंगानगर द्वारा अपील दीवानी संख्या 14/2002 शीर्षक बचनसिंह व अन्य बनाम मृतक हेमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 5 जुलाई, 2005 में अपीलार्थी (वर्तमान वाद में वादी) की जाति रायसिख अंकित है. इस प्रकार वादी मूलतः किस जाति से सम्बद्व है, सर्वथा संदिग्ध है जिसकी बाबत भी वादी की ओर से कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है. तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति से सम्बद्व व्यक्ति की कृषि भूमि को किसी गैर अनुसूचित जाति से सम्बद्व व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता. प्रथमतः प्रकरण में किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नही होती है कि प्रश्नगत कृषि भूमि को हस्तान्तरित किया गया है, द्वितीय, यदि किसी भी प्रकार से अन्तरण किया भी गया है तो विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार ऐसा अन्तरण अवैद्य है. तृतीय, वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया गया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा 1974 से आज तक लगातार वादी के पास चला आ रहा है, यद्यपि निरन्तर कब्जा के समर्थन में भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा के कोई प्रावधान उपलब्ध

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत वादी को बेदखल नहीं करने बाबत वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? ...**वादी**

विवद्यक संख्या 1 से 3 के विनिश्चिय के अनुसार जब वादी प्रश्नगत कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा होने के तथ्य के समर्थन में किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत ही नही किया गया, यदि किया भी जाता तो भी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति से सम्बद्व व्यक्ति की कृषि भूमि को किसी गैर अनुसूचित जाति से सम्बद्व व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता. जबकि वादी से सम्बद्व विभिन्न अभिलेखों में पृथक पृथक जाति अंकित होने के कारण वादी की जाति संदिग्ध है. इसी अनुरूप, किसी भी गैर अनुसूचित जाति से सम्बद्व व्यक्ति को अनुचित जाति से सम्बद्व व्यक्ति की कृषि भूमि पर कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार ही उपलब्ध नही है तथा वादी स्पष्टयाः अतिक्रमी है, चूंकि भूमि की खातेदारी सन्द जारी नही की गयी है तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 में कस्टोडियन विभाग अंकित है ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत कृषि भूमि का वास्तविक स्वामी सरकार है तथा वास्तविक स्वामी के विरूद्व अतिक्रमी को कोई अधिकार ही उपलब्ध नहीं है. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि पर अतिक्रमी को बेदखल नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार वादी को प्राप्त हो ही नहीं सकते. इसके अतिरिक्त, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी(पुनर्वास), श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी पत्रांक 1167 दिनांक 6 अगस्त, 2013 से स्पष्ट है कि चक 8 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 54–56 की 25.00 बीघा कृषि भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24 अप्रेल, 1978 की पालना में कब्जा बहक सरकार लिया जाकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवर्ष ठेका काश्त व्यवस्था हेतु निलामी की जा रही है. ऐसी स्पष्ट स्थिति में, प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा वादी के पास होने के कथन मिथ्या एवं आधारहीन प्रस्तुत किये गये हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 5 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि सन् 1974 से हीं डी.पी. एण्ड सी.आर. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिसीवर अधीन है? ...**प्रतिवादी**

जवाब वादपत्र के तथ्यो के समर्थन में प्रस्तुत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी(पुनर्वास), श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी पत्रांक 1167 दिनांक 6 अगस्त, 2013 से स्पष्ट है कि चक 8 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 54–56 की 25.00 बीघा कृषि भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24 अप्रेल, 1978 की पालना में कब्जा बहक सरकार लिया जाकर तहसीलदार,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/16

A2
15

श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवर्ष ठेका काश्त व्यवस्था हेतु निलामी की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि हीं डी.पी. एण्ड सी.आर. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिसीवर अधीन चली आ रही है. इ प्रकार विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 6 –क्या प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य निष्पादित कथित इकरारनामा के आधार पर मा. सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16 अप्रेल, 2002 एवं मा. जिला न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 5 जुलाई, 2005 के परिदृश्य प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? ....**प्रतिवादी**

मा. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.), श्रीगंगानगर द्वारा नम्बरी दीवानी संख्या 109/2001(7/1999) शीर्षक बचनसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16 अप्रेल, 2002 के अनुसार प्रकरण स्पष्टताः मियाद अवधि बाहर होने के कारण खारिज किया गया है, इसी अनुरूप, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, श्रीगंगानगर द्वारा अपील दीवानी संख्या 14/2002 शीर्षक पवनसिंह व अन्य बनाम मृतक हेमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 5 जुलाई, 2005 द्वारा अपील खारिज की गयी है जिनके द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं अपील को निरस्त किया गया है जिनके परिदृश्य प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों का सृजन नहीं होता है. क्योंकि चक 8 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 54–56 की 25.00 बीघा कृषि भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24 अप्रेल, 1978 की पालना में कब्जा बहक सरकार लिया जाकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवर्ष ठेका काश्त व्यवस्था हेतु निलामी की जा रही है. ऐसी स्थिति मे, प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24 अप्रेल, 1978 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों की विवेचना के अनुसार वादी जहां अपने वाद में अकित तथ्यों को किसी भी अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्यों से सिद्व करने मे नितान्त असफल रहा है वहीं, चूंकि वादी द्वारा अंकित जाति संदिग्ध है क्योंकि वादी द्वारा अपनी जाति के प्रमाण स्वरूप किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है. ऐसी स्पष्ट परिस्थति में, वादी द्वारा अनुसूचित जाति से सम्बद्व कृषि भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा तथाकथित रूप से किये गये अन्तरण को नियमितीकरण करने का असफल प्रयास भी किया गया है. मा. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.), श्रीगंगानगर द्वारा नम्बरी दीवानी संख्या 109/2001(7/1999) शीर्षक बचनसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16 अप्रेल, 2002 एवं न्यायालय अपर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

21/16

A2
16

जिला न्यायाधीश संख्या 2, श्रीगंगानगर द्वारा अपील दीवानी संख्या 14/2002 शीर्षक पवनसिंह व अन्य बनाम मृतक हेमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 5 जुलाई, 2005 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं अपील को निरस्त किया गया है जिनके परिदृश्य प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों का सृजन नहीं होता है. क्योंकि चक 8 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 54–56 की 25.00 बीघा कृषि भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24 अप्रेल, 1978 की पालना में कब्जा बहक सरकार लिया जाकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवर्ष ठेका काश्त व्यवस्था हेतु निलामी की जा रही है. ऐसी स्थिति में, विचाराधीन वादपत्र के माध्यम से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है.

अतः वादपत्र एवं काउण्टर क्लेम निरस्त किये जाते हैं. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 16 जुलाई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/16

A2
17

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

दलीपसिंह आत्मज श्री रामसिंह, रावल, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. गंगाराम आत्मज श्री सुखाराम, नायक, रेणूका तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

....प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 21/2016
अन्तर्गत धारा 88,188,63,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा, श्री तेजासिंह प्रतिवादी संख्या 1 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–2) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादपत्र एवं काउण्टर क्लेम निरस्त किये जाते हैं.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज... शून्य.....दर वार्षिक ...शून्य.....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16 जुलाई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर